

प्रकरण क्रमांक WO 524922

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र
(जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर-452003

आदेश क्रमांक 253/विउशिनिफो/इंदौर/22

प्रकरण क्रमांक WO 524922

विषय :- मीटर जम्प करने की वजह से आये गलत बिल को पुनरीक्षित करने विषयक।

श्रीमति उषा राजकुमार अग्रवाल, -----परिवादी
153/5, महाजन पेठ, एम -21, बुरहानपुर (म.प्र.)

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग मप्रपक्षेविविकंलि.बुरहानपुर -----उत्तरदाता
आदेश

(आज दिनांक 26.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी स्वयं उपस्थित।

विपक्ष मप्रपक्षेविविकंलिमि. की ओर से श्री सुनील खैरवार कनिष्ठ यंत्री उपस्थित।

परिवादी का कथन :-

परिवादी के द्वारा उनके सिंगल फेज 3.0 किलोवॉट क्षमता के घरेलू विद्युत कनेक्शन क. 3464905-SWZ65-15-N3955019243, का माह फरवरी 2022 का बिल 739 युनिट का रु. 6416/- का जारी होने के संबंध में, समय समय पर संबंधित विभागाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर बिल सुधारने के निवेदन के साथ ही, निर्धारित शुल्क भुगतान कर मीटर टेस्टिंग करवाने के बावजूद बिल सुधार न होने के कारण फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया गया है। परिवादी का तर्क है कि चूंकि उनके परिसर में पहले कभी इतनी ज्यादा खपत दर्ज नहीं हुई है एवं उपकरण भी नहीं बढ़ाये गये हैं, अतः गलत खपत के बिल को विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 के अनुसार संशोधित कर अधिभार समाप्त करने की मांग की गई है।

परिवादी ने परिवाद के साथ संबंधित विपक्ष अधिकारी-अधीक्षण यंत्री बुरहानपुर वृत्त को प्रेषित आवेदन पत्र दि. 23.03.2022 एवं सहायक यंत्री शनवारा रोड, बुरहानपुर को ज्यादा खपत आने के कारण मीटर चैक करने हेतु निवेदन के साथ प्रेषित आवेदन दि. 10.02.2022 मीटर चैकिंग शुल्क

प्रकरण क्रमांक W0 524922

रु.50/- की भुगतान रसीद दि.10.02.2022 के साथ एवं पुनः प्रेषित आवेदन पत्र दि. 02.03.2022 कंसूमर रिपोर्ट माह दिसंबर 2020 से माह मार्च 2022 तक, मासिक विद्युत बिल माह मार्च 2022, माह मई 2022 की छाया प्रतियां संलग्न की है।

2. फोरम सुनवाई दि.19.09.2022 को विपक्ष अधिकारी की उपस्थिति में परिवादी ने लिखित आवेदन दि.19.09.2022 प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि विपक्ष द्वारा आगामी बिल में रु. 6292/- की क्रेडिट देने एवं सरचार्ज निरस्त करने का आश्वासन दिया है, जिससे परिवादी संतुष्ट होकर प्रकरण को समाप्त कराना चाहता है।

फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :-

परिवादी ने फोरम को लिखित आवेदन दि.19.09.2022 प्रस्तुत किया है, जिसमें यह कथन किया है कि उनकी शिकायत के निराकरण हेतु विपक्ष ने उनके आगामी बिल में रु. 6292/- की क्रेडिट देने एवं सरचार्ज निरस्त करने का आश्वासन दिया है, इसलिए वे प्रकरण को समाप्त कराना चाहत है। अतः परिवादी के आवेदन पर प्रकरण को समाप्त किया जाना चाहिये।

फोरम का निर्णय :-

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारीयों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :-

01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में किये गये उल्लेखानुसार, परिवादी ने फोरम को लिखित आवेदन दि.19.09.2022 प्रस्तुत किया है, जिसमें यह कथन किया है कि उनकी शिकायत के निराकरण हेतु विपक्ष ने उनके आगामी बिल में रु. 6292/- की क्रेडिट देने एवं सरचार्ज निरस्त करने का आश्वासन दिया है, इसलिए वे प्रकरण को समाप्त कराना चाहत है। अतः परिवादी के आवेदन पर प्रकरण को समाप्त किया जाता है।

3/परिवादी को दिये गये आश्वासन अनुसार कार्यवाही कर, निराकरण करना सुनिश्चित किया जावे।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(श्रीमती कमल कट्ठर),
सदस्य

(एन.एस.मंडलोई),
सदस्य

(व्ही.के.गोयल)
अध्यक्ष